रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 31, 1980/श्रावण 9, 1902
No. 229] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 1980/SRAVANA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1980

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 457(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 157-सीमा-शुल्क सा. का. नि. सं. 451 (अ) तारीख 31 जुलाई, 1980 द्वारा यथासंशोधित अधि-

सूचना सं. 130-सीमा शुल्क /मा.का.नि.सं. 385(अ), तारीख 1 जुलाई, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 14 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
14	पौंड स्टरलिंग	5.4100

[सं. सी. शु. फा. सं. 503/3/80-सी. शु.-6]

जेड. बी. नागरकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 457(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No.130-Cus. (G.S.R. No. 385(E) dated 1st July, 1980) as amended by Notification No. 157-Cus. (G.S.R. No. 451(E), dated 28th July, 1980) namely :—

In the schedule below the said notification—For serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
14	Pound Sterling	5.4100

[No. Cus.|F. No. 503|3|80-Cus. VI]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980